सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 22 राँची, बुधवार

7 ज्येष्ठ 1936 (श०)

28 मई, 2014 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 183-190

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक "अ" ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

16 मई, 2014

संख्या-13/वरीय नि0 सं0-39/2013 का0- 4393-- श्री ललित प्रकाश चौबे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बोकारो को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) के वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है।

2. श्री चौबे की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 27 सितम्बर, 2012 है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

22 मई, 2014

संख्या- 4/विविध-10-22/2014 का.- 4558--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या- 3412 दिनांक 10 अप्रैल, 2014 को विलोपित करते हुए श्री अजय चन्द्र धर, तत्कालीन कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, दुमका सम्प्रति सेवानिवृत्त उप समाहर्ता को दिनांक 9 मार्च, 2007 से 31 जुलाई, 2007 तक उपभोग की गयी चिकित्सा अवकाश को

रूपांतरित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 के तहत् स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

27 मई, 2014

संख्या- 4/नि0 सं0-12-08/2014 का.- 4708--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्रीमती सुनीता किस्कू, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 से 7 जून, 2013 तक उपभोग की गयी मातृत्व अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 220 एवं वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं0-997, दिनांक 1 जुलाई, 2010 तथा संकल्प सं0-551, दिनांक 1 मार्च, 2007 के आलोक में स्वीकृत किया जाता है एवं दिनांक 8 जून, 2013 से 9 जून, 2013 तक तथा दिनांक 25 जून, 2013 से 30 जून, 2013 तक आदेय अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 235 के तहत् स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

13 मई, 2014

संख्या-- न0प्र0नि0/ NULM-12/2014-1868--भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के पत्रांक No.-K-14011/1/2013-UPA दिनांक 24 सितम्बर, 2013 तथा D.O. No.-K-14011/1/2013-UPA दिनांक 06.02.2014 के आलोक में शहरी गरीबों के सामाजिक एवं आर्थिक असुरक्षा का निवारण के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पूर्व से संचालित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) लागू किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को लाभप्रद स्वरोजगार एवं कौशल के आधार पर रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाकर उनकी गरीबी और असुरक्षा को दूर करना एवं शहरी आवास विहीन परिवारों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना है । इसके अतिरिक्त यह मिशन शहरी पथ विक्रेताओं/फेरिवालों को उनके कार्य के लिए उपयुक्त स्थलों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी जीविका संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं शहरी आवास विहीन परिवारों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराएगा।

2. उक्त के आलोक में योजना दिशा-निर्देश के अनुसार कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया जाना प्रस्तावित है।

सम्यक् विचारोपरांत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के कार्यान्वयन हेतु नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास विभाग को राज्यस्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया जाता है एवं निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय को मिशन निदेशक घोषित किया जाता है । साथ ही निदेशालय के स्तर पर NULM के संचालन का निर्णय लिया जाता है एवं राज्य के निम्नलिखित नगर निकायों को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना के मार्गनिर्देशिका के अनुसार योजना क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी घोषित किया जाता है-

क्र.सं0	निकाय का नाम	जनसंख्या	निकाय के पदाधिकारी
1.	धनबाद नगर निगम	1162472	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
2.	चिरकुण्डा यू0ए0	118777	कार्यपालक पदाधिकारी
3.	गिरिडीह नगर परिषद्	114533	कार्यपालक पदाधिकारी

4.	हजारीबाग नगर परिषद्	142489	कार्यपालक पदाधिकारी
5.	रामगढ़ यू0ए0	247239	अधिशासी पदाधिकारी
6.	कोडरमा नगर पंचायत	24633	कार्यपालक पदाधिकारी
7.	चास नगर परिषद्	564319	कार्यपालक पदाधिकारी
8.	फुसरो यू0ए0	185555	कार्यपालक पदाधिकारी
9.	चतरा नगर परिषद्	49985	कार्यपालक पदाधिकारी
10.	राँची नगर निगम	1073427	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
11.	गुमला नगर पंचायत	51264	कार्यपालक पदाधिकारी
12.	लोहरदगा नगर परिषद्	57411	कार्यपालक पदाधिकारी
13.	सिमडेगा नगर पंचायत	42944	कार्यपालक पदाधिकारी
14.	खूँटी नगर पंचायत	36390	कार्यपालक पदाधिकारी
15.	दुमका नगर परिषद्	47584	कार्यपालक पदाधिकारी
16.	देवघर नगर निगम	203123	कार्यपालक पदाधिकारी
17.	पाकुड़ नगर पंचायत	45840	कार्यपालक पदाधिकारी
18.	गोड्डा नगर पंचायत	48480	कार्यपालक पदाधिकारी
19.	साहेबगंज नगर परिषद्	88214	कार्यपालक पदाधिकारी
20.	जामताड़ा नगर पंचायत	29415	कार्यपालक पदाधिकारी
21.	चाईबासा नगर परिषद्	69565	कार्यपालक पदाधिकारी
22.	जमशेदपुर अ0क्षे0स0	677350	विशेष पदाधिकारी
23.	मानगो अ0क्षे0स0	223805	विशेष पदाधिकारी
24.	सरायकेला नगर पंचायत	14252	कार्यपालक पदाधिकारी
25.	आदित्यपुर नगर पंचायत	174355	कार्यपालक पदाधिकारी

26.	मेदिनीनगर यू0ए0	120325	कार्यपालक पदाधिकारी
27.	गढ़वा नगर पंचायत	46059	कार्यपालक पदाधिकारी
28.	लातेहार नगर पंचायत	26981	कार्यपालक पदाधिकारी

3. राज्य के उपरोक्त शहरी स्थानीय निकायों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/अधिशासी पदाधिकारी को योजना कार्यान्वयन के निमित्त नगर परियोजना पदाधिकारी (CPO) के रुप में नामित किया जाता है।

नगर परियोजना पदाधिकारी के रुप में निकायों के प्रशासी पदाधिकारी, City Mission Management Unit (CMMU) के अध्यक्ष के रुप में भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार योजना कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होंगे।

4. नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास विभाग योजना कार्यान्वयन एजेंसी के रुप में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश एवं मैचिंग ग्रांट के रुप में राज्यांश राशि को राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को योजना कार्यान्वित किये जाने हेतु राशि आवंटित करेगा। योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु नगरीय प्रशासन निदेशालय, अपने प्रत्यक्ष निर्देशन में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से योजना को कार्यान्वित करेगी एवं योजना का अनुश्रवण कर भारत सरकार को वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव।

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

13 मई, 2014

संख्या-4/आ01-24/2009-138--श्रीमती फरहाना खातून, राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-II तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा सम्प्रति प्राचार्या, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, पिण्ड्राजोरा, बोकारो के विरूद्ध जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा के कार्यकाल में किये गये वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी कार्यों के प्रति घोर लापरवाही के प्रथम द्रष्टवा प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-100 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है।

2. निलम्बन अवधि में श्रीमती फरहाना खातून का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग निर्धारित किया जाता है। झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत् इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. श्रीमती फरहाना खातून के विरुद्ध प्रपत्र 'क' का गठन कर विभागीय कार्यवाही हेतु अलग से संकल्प निर्गत किया जा रहा है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कामेश्वर प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

26 मई, 2014

संख्या-4/ब5-03/2008-146--श्री सुशील कुमार राय,तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद, सम्प्रति सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-594, दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 तथा अधिसूचना संख्या-413, दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध साक्ष्यों के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सुशील कुमार राय के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं है।

अतः श्री सुशील कुमार राय, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद सम्प्रति सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची केा आरोप मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कामेश्वर प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 22–50 ।